



134

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र.

R 4153 PB 22/16

हाथ आया 6-12-16
प्रस्तुत

6-12-16
राजस्व मंडल ग्वालियर

बालाराम पिता मांगीलाल, जाति लोधा,
निवासी ग्राम खरसौडा, तह. व जिला धार निगरानीकर्ता

बनाम

- विष्णु पिता भागीरथ, जाति कुलमी
- नाथूलाल पिता भेजीलाल लोधा,
दोनों निवासी ग्राम उटावदा तह. व जिला धार म.प्र.
- मिश्रीलाल पिता धुलजी जाति लोधा
निवासी ग्राम खरसौडा तह. व जिला धार विपक्षीगण

6/12/16
महोदय

निगरानी आवेदन-पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत

712
6/12/16

महोदय,

सेवा में विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय धार वृत्त-2 तिरला के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत किया जिसमें धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. का आवेदन भी प्रस्तुत किया। जो अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8/अ-13/2014-15 पर दर्ज होकर रेस्पॉण्डेंट क्रमांक 1 व 2 का धारा 32 का आवेदन-पत्र दिनांक 22/10/2016 को स्वीकार किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आवेदन-पत्र अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है :-

आधार निगरानी



- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, कुनन एवं प्रकरण पत्रिका के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के धारा 32 के जवाब में बताये रास्ते का अवलोकन न कर केवल विपक्षी क्रमांक 1 व 2 (आवेदक) के इच्छित रास्ते का अवलोकन कर एक प्रस्तुत आदेश निरीक्षण कर धारा 32

Handwritten signature

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4153-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अखिलेश शर्मा उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> ABR</p>	<p> अध्यक्ष</p>